

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा)

पत्रांक-स० सु० (प्रति०)-०५-१८/२०१८, ७०८४/परि० पटना, दिनांक- ६/११/१८

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से.,
सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार।
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार।

विषय:- दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट धारण किये जाने को अनिवार्य करते हुए विशेष जाँच अभियान चलाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्य सचिव, बिहार से अनुमोदित पत्र प्रारूप के आलोक में सूचित करना है कि मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ की धारा-१२९ एवं बिहार मोटर वाहन नियमावली, १९९२ के नियम-१९६ में दो पहिया वाहन चालकों एवं उसपर सवारी करने वाले व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण हेलमेट धारण करना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ की धारा १७७ एवं १७९ में शमन किये जाने का प्रावधान है।

विदित हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर गठित कमेटी द्वारा हेलमेट धारण करने की अनिवार्यता को लागू करने के संबंध में समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

उल्लेखनीय है कि गुणवत्तापूर्ण हेलमेट धारण नहीं किये जाने के कारण वर्ष २०१६ की तुलना में वर्ष २०१७ में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों/हताहतों की संख्या में वृद्धि हुई है जो निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है। प्रत्येक जीवन अनमोल है। जान-माल की क्षति का प्रभाव सकल घरेलू आय पर भी पड़ता है तथा आप अवगत है कि परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में प्रत्येक शनिवार को हेलमेट एवं सीट बेल्ट की जाँच हेतु विशेष जाँच अभियान चलाया जाता था किन्तु सितम्बर माह से पूरे माह में लगातार विशेष जाँच अभियान के रूप में चलाया जा रहा है ताकि आमजन इसकी आवश्यकता को समझ कर हेलमेट एवं सीट बेल्ट का धारण करना प्रारंभ करें।

हम सभी इस तथ्य से अवगत है कि यह अभियान सरकार के राजस्व का स्रोत न होकर वाहन उपयोग कर्ता एवं आम नागरिकों के जीवन रक्षा से संबंधित है। परिवहन विभाग उक्त विशेष जाँच अभियान में आपसे भी अपेक्षित सहयोग एवं सक्रिय नेतृत्व की अपेक्षा करती है।

अतः आप अपने प्रभावी नेतृत्व में अनवरत सड़क सुरक्षा हेतु दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट धारण करने के अभियान में तेजी लाये। इसके लिये निम्न निदेश का पालन सुनिश्चित करें:-



- (1) प्रत्येक सप्ताह जिला पदाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक किसी भी समय अपनी सुविधानुसार स्वयं दस मिनट हेलमेट चेकिंग अपने पर्यवेक्षण में सामने करवाये।
- (2) प्रत्येक सप्ताह अनुमंडल पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक किसी समय पन्द्रह मिनट हेलमेट चेकिंग अपने सामने करवाये।
- (3) प्रत्येक दिन DTO/MVI/ESI एक घंटे हेलमेट चेकिंग स्वयं करें।
- (4) प्रत्येक सप्ताह प्रखंड विकास पदाधिकारी/थाना प्रभारी किसी समय आधा घंटा हेलमेट चेकिंग करवाये।
- (5) प्रत्येक कॉलेज, में सड़क सुरक्षा हेतु जागरूकता अभियान चलाये।
- (6) समाहरणालय कर्मी एवं अन्य सरकारी कर्मियों तथा पुलिस कर्मियों के लिये दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट धारण करना अनिवार्य करें तथा कार्यालय परिसरों में बिना हेलमेट दो पहिया वाहन के प्रवेश पर रोक लगाये।
- (7) दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट धारण करने की अनिवार्यता का प्रचार-प्रसार दिवाल लेखन, सोशल मिडिया एवं होर्डिंग के माध्यम से करें इसके लिए राशि उपलब्ध करायी जा रही है।
- (8) मुखिया, सरपंच व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जागरूकता अभियान में तेजी लाये, आपसी सहभागिता से सड़क दुर्घटनाओं से हो रही वृद्धि में कमी होगी तथा कानून के प्रति लोगों का सम्मान एवं अनुपालन भी बढ़ेगा।
- (9) यदि आप कोई सड़क सुरक्षा के लिए Innovative Practice या Proactive कार्य करते हैं, जिससे आपके जिले में Helmet Coverage में वृद्धि होती है तो ऐसे अच्छे कार्य तथा सर्वश्रेष्ठ जिला के जिला पदाधिकारी एवं वरीय/पुलिस अधीक्षक को राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया जायेगा।
- (10) इस कार्य के लिए प्रत्येक जिले को दो से पाँच लाख की राशि जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जा रही है जिसका उपयोग वो Innovative कार्य तथा सड़क सुरक्षा के लिए कर सकते हैं।
- (11) निम्नलिखित विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

जिला मुख्यालय	कितने प्रतिशत दो पहिया वाहन चालक हेलमेट पहनते हैं।	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.

उपरोक्त निदेशों पर मुख्य सचिव, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

Liau
6/11/18

सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा)

पत्रांक-स० सु० (प्रति०)-०५-१८/२०१८,/परि० पटना, दिनांक-.....

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, मा.प्र.से.,
सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार।
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार।

विषय:- दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट धारण किये जाने को अनिवार्य करते हुए विशेष जाँच अभियान चलाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्य सचिव, बिहार से अनुमोदित पत्र प्रारूप के आलोक में सूचित करना है कि मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ की धारा-१२९ एवं बिहार मोटर वाहन नियमावली, १९९२ के नियम-१९६ में दो पहिया वाहन चालकों एवं उसपर सवारी करने वाले व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण हेलमेट धारण करना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ की धारा १७७ एवं १७९ में शमन किये जाने का प्रावधान है।

विदित हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर गठित कमेटी द्वारा हेलमेट धारण करने की अनिवार्यता को लागू करने के संबंध में समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

उल्लेखनीय है कि गुणवत्तापूर्ण हेलमेट धारण नहीं किये जाने के कारण वर्ष २०१६ की तुलना में वर्ष २०१७ में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों/हताहतों की संख्या में वृद्धि हुई है जो निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है। प्रत्येक जीवन अनमोल है। जान-माल की क्षति का प्रभाव सकल घरेलू आय पर भी पड़ता है तथा आप अवगत है कि परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में प्रत्येक शनिवार को हेलमेट एवं सीट बेल्ट की जाँच हेतु विशेष जाँच अभियान चलाया जाता था किन्तु सितम्बर माह से पूरे माह में लगातार विशेष जाँच अभियान के रूप में चलाया जा रहा है ताकि आमजन इसकी आवश्यकता को समझ कर हेलमेट एवं सीट बेल्ट का धारण करना प्रारंभ करें।

हम सभी इस तथ्य से अवगत है कि यह अभियान सरकार के राजस्व का स्रोत न होकर वाहन उपयोग कर्ता एवं आम नागरिकों के जीवन रक्षा से संबंधित है। परिवहन विभाग उक्त विशेष जाँच अभियान में आपसे भी अपेक्षित सहयोग एवं सक्रिय नेतृत्व की अपेक्षा करती है।

अतः आप अपने प्रभावी नेतृत्व में अनवरत सड़क सुरक्षा हेतु दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट धारण करने के अभियान में तेजी लाये। इसके लिये निम्न निदेश का पालन सुनिश्चित करें:-



- (1) प्रत्येक सप्ताह जिला पदाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक किसी भी समय अपनी सुविधानुसार स्वयं दस मिनट हेलमेट चेकिंग अपने पर्यवेक्षण में सामने करवाये।
- (2) प्रत्येक सप्ताह अनुमंडल पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक किसी समय पन्द्रह मिनट हेलमेट चेकिंग अपने सामने करवाये।
- (3) प्रत्येक दिन DTO/MVI/ESI एक घंटे हेलमेट चेकिंग स्वयं करें।
- (4) प्रत्येक सप्ताह प्रखंड विकास पदाधिकारी/थाना प्रभारी किसी समय आधा घंटा हेलमेट चेकिंग करवाये।
- (5) प्रत्येक कॉलेज, में सड़क सुरक्षा हेतु जागरूकता अभियान चलाये।
- (6) समाहरणालय कर्मी एवं अन्य सरकारी कर्मियों तथा पुलिस कर्मियों के लिये दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट धारण करना अनिवार्य करें तथा कार्यालय परिसरों में बिना हेलमेट दो पहिया वाहन के प्रवेश पर रोक लगाये।
- (7) दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट धारण करने की अनिवार्यता का प्रचार-प्रसार दिवाल लेखन, सोशल मिडिया एवं होर्डिंग के माध्यम से करें इसके लिए राशि उपलब्ध करायी जा रही है।
- (8) मुखिया, सरपंच व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जागरूकता अभियान में तेजी लाये, आपसी सहभागिता से सड़क दुर्घटनाओं से हो रही वृद्धि में कमी होगी तथा कानून के प्रति लोगों का सम्मान एवं अनुपालन भी बढ़ेगा।
- (9) यदि आप कोई सड़क सुरक्षा के लिए Innovative Practice या Proactive कार्य करते हैं, जिससे आपके जिले में Helmet Coverage में वृद्धि होती है तो ऐसे अच्छे कार्य तथा सर्वश्रेष्ठ जिला के जिला पदाधिकारी एवं वरीय/पुलिस अधीक्षक को राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया जायेगा।
- (10) इस कार्य के लिए प्रत्येक जिले को दो से पाँच लाख की राशि जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जा रही है जिसका उपयोग वो Innovative कार्य तथा सड़क सुरक्षा के लिए कर सकते हैं।
- (11) निम्नलिखित विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

जिला मुख्यालय	कितने प्रतिशत दो पहिया वाहन चालक हेलमेट पहनते हैं।	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.

उपरोक्त निदेशों पर मुख्य सचिव, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-स0सु0 (प्रति0)-05-18/2018, 7088/परि0 पटना, दिनांक-6/11/18

प्रतिलिपि-सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार/सभी प्रवर्तन निरीक्षक, बिहार/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/11/18

सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।